

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, बाबा रायपुर अटल नगर,
जिला-शायपुर (छ.ग.)

क्र. ५७२९ / एफ-१-११८/३१ / एस-२/२०२०,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक २३/११/२०२२

मुख्य अभियंता,
मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना,
जल संसाधन विभाग,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-बिल्हा अंतर्गत बिलासपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय, कुदुदण्ड, नूतन, सकरी आवासीय परिसर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य एवं उप संभागीय कार्यालय के भवन निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय का आदेश क्र.-२९३७ / एफ-१-११८/३१ / एस-२/२०२०, दिनांक 20.06.2022.

—००—

राज्य शासन एतद द्वारा बिलासपुर जिले के विकासखण्ड-बिल्हा अंतर्गत बिलासपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय, कुदुदण्ड, नूतन, सकरी आवासीय परिसर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य एवं उप संभागीय कार्यालय के भवन निर्माण कार्य हेतु रु.२९८.१५ लाख (रूपये दो करोड़ अट्ठानवे लाख पन्द्राह हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना अंतर्गत मुख्य अभियंता कार्यालय, कुदुदण्ड, नूतन, सकरी आवासीय परिसर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य, उप संभागीय कार्यालय, स्टोर एवं कैटीन का निर्माण प्रस्तावित है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-६४, अनुसूचित जाति उपयोजना, ४७००-वृहद सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {०१} हसदेव बांगो परियोजना, (८००) अन्य व्यय, ०१०३ अनुसूचित जाति उपयोजना, (२८९८) बांध तथा संलग्न कार्य # २६ वृहद निर्माण कार्य ००५ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्रमांक-१०५६ / सी.एन.-३१-००३७६ / बजट-२/वित्त/चार/२०२२, दिनांक 11.11.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

23/11/22
(प्रेमसिंह घटेन्द्र)


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 5730 /एफ-1-118/31/एस-2/2020,
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, दिनांक 23/11/2022

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, हसदेव परियोजना मंडल रामपुर, कोरबा, जिला-कोरबा।
14. कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
अटल संसाधन विभाग
23/11/22